राजू सिंह - बच्चन सिंह मु.न. 15/20

दिनांक	आज्ञा पत्र	
16.12.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 3.1.25 को पेश हो [signature]	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
3.1.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट रिमाण्ड की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	[signature]

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 15/2020

1 राजूसिंह पुत्र जसवन्तसिंह आयु 77 साल जाति राजपूत निवासी मोटलावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर। मो.नं. 8875409531

अपीलांट

बनाम

1 बच्चन सिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोटलावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अ.धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर बइजलास श्री अशोक कुमार प्रकरण संख्या 34/2017 251 ए आर.टी.एक्ट उनवानी राजूसिंह बनाम बच्चनसिंह आदि दिनांकित 06.01.2020

उपस्थिति :

1. श्री सोहन लाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुकेश कुमार कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री विनोद सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 3.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 34/2017 में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 54, 55, 59 वाके ग्राम मोटलावास तहसील दांतारामगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आवेदन विरूद्ध रेस्पोडेन्टस प्रस्तुत करते हुए अपनी खातेदारी भूमियां खसरा नम्बर 54 व 55 तन ग्राम मोटलावास में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 59 की दक्षिणी सीमा पर से होकर 12 फुट चौड़ाई के रास्ते की मांग धारा 251 ए में वर्णित प्रावधानों के तहत विचारण न्यायालय से की गयी। जिसकी मद संख्या 5 में कथन किया गया कि आवेदक को अपने खेत में आवागमन एवं पशुधन लाने ले जाने की निरन्तर व दिन प्रतिदिन आवश्यकता बनी रहती है तथा इस रास्ते के अलावा आवेदक की कृषि भूमि में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा रास्ता में आने वाली कृषि भूमि की प्रतिकर राशि अदा करने हेतु आवेदक तैयार है। इसलिए भूमि खसरा नम्बर 59 रकबा 0.77 हैक्टेयर में से रास्ता में आने वाली भूमि को निर्वापित कर रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना सादर प्रार्थनीय है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए विशेष कथन में यह तथ्य अंकित करते हुए अपीलाधीन आवेदन खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया कि आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 54, 55 के पश्चिम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर

साईड में सटाकर भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 1.47 हैक्टेयर आवेदक व उसके भाईयों की खातेदारीशुदा भूमि है। खसरा नम्बर 53 की खातेदारी में आवेदक राजूसिंह पुत्र जसवंत सिंह का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी के रूप में दर्ज है। किन्तु उक्त सम्पूर्ण भूमि भाई बंटवारे में आवेदक राजूसिंह के हिस्से में आई हुई है। आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 53, 54, 55 एक ही चक में है। जिसके बीच में कोई सीमा नहीं है और उक्त भूमियों पर राजूसिंह/आवेदक का ही कब्जा, काश्त है। अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 59 के दक्षिणी पूर्वी कोने तक ग्रेवल सड़क खसरा नम्बर 61 है। जिससे अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 57, 58, 59 की पूर्वी सीमा व उत्तरी सीमा पर 12 फुट चौड़ा रास्ता मौके पर चालू है। उक्त रास्ता आगे खसरा नम्बर 38, 56 की उत्तरी सीमा पर होता हुआ आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 53 की उत्तरी सीमा को टच करता हुआ आगे जाता है। उक्त रास्ता प्रचलित रास्ता है। जो कटान में नहीं है। मौके पर चालू है। जिससे आवेदक अपनी भूमि खसरा नम्बर 53, 54, 55 में आवागमन कर रहा है। आवेदक ने कतई गलत रूप से वैकल्पिक रास्ते के महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर निकटतम व सुगम रास्ता प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी की भूमियों में से रास्ता कायम करवाने के लिए यह मिथ्या अभिकथन कर यह आधारहीन आवेदन पेश किया है। जो भारी हर्जे खर्चे पर खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने निमित आदेश पारित किये गये। तहसीलदार दांतारामगढ़ से प्रकरण के संबंध में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा दिनांक 17.07.2019 को रिपोर्ट तैयार करके दिनांक 06.08.2017 को अपीलान्ट द्वारा चाहे गये रास्ते की अनुशंषा करते हुये रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से तहसीलदार दांतारामगढ़ की ओर से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए पुनः रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया गया। जिसका अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर

को आपत्ति आवेदन पर बहस सुनी गई। परन्तु दिनांक 04.12.2019 के संबंध में एक नोन स्पीकिंग आदेश इस आशय का पारित कर दिया गया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण के दौरान प्रार्थी की खातेदारी की भूमि तक प्रचलित रास्ता मौके पर चालू पाया, अतः न्यायहित में प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार की जाती है। इसके पश्चात दिनांक 30.12.2019 को मूल आवेदन की बहस सुनी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2020 के माध्यम से अवैध रूप से अपीलाधीन आदेश के संबंध में अपीलाधीन आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रार्थी का आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार साबित नहीं होता है क्योंकि आरटीए की धारा 251 ए की मंशा वैकल्पिक रास्ते के अभाव में प्रार्थी को निकटतम दूरी का रास्ता उपलब्ध करवाया जाना है। विचारण न्यायालय में पीठासीन अधिकारी स्वयं ने स्थल निरीक्षण कर वैकल्पिक रास्ता होना एवं प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 54 के उपयोग–उपभोग हेतु खसरा नम्बर 59 से होकर वांछित रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित नहीं मानते हुए विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। आपत्ति पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 04.12.2019 को आपत्ति स्वीकार करने का अंकन आदेशिका में किया है। इस आदेशिका में पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण किये जाने का अंकन है किन्तु इस स्थल निरीक्षण की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कोई रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं है। अप्रार्थीगण की आपत्ति स्वीकार करने के उपरांत पुनः मौका रिपोर्ट भी नहीं मंगवाई गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रकिया अनुरूप नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 3.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर